प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.03.2025

POLICE CRACKDOWN

जनपद गाजियाबाद.....

दिनांक 05 मार्च 2025

स्वाट टीम ग्रामीण एवं थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा शादी समारोह लूट में वांछित अपराधी से हुई मुठभेड़ के दौरान 01 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार तथा गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शस्त्र तथा चोरी की बाइक तथा लूट के नकद 37 हजार बरामद

● कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2025 को स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण एवम् थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा लूट में वांछित बाइक सवार अपराधी से हुई मुठभेड़ के दौरान गुड्डू उर्फ शादाब पुत्र शेख अफसर निवासी श्री राम कॉलोनी कच्ची खजुरी दिल्ली मूल निवासी ग्राम नगली नहटौर जिला बिजनौर गोली लगने से घायल हुआ है घायल बदमाश जनपद गाजियाबाद/दिल्ली से विवाह समारोह से की गई लूट/चोरी में जेल जा चुका है तथा इसके अन्य साथी कुछ दिन पूर्व थाना अंकुर विहार से ही जेल जा चुके हैं ●

गिरफ्तार अभियुक्त पर गाजियाबाद एवं दिल्ली आदि से 02 दर्जन से अधिक लूट एवम् चोरी केअभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

थाना मसूरी पुलिस द्वारा करीब 20 टन प्रतिबन्धित लकड़ी खैर प्रजाति (कीमत करीब 30 लाख रुपये) सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद।

दिनांक 04.03.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर खैर प्रजाति की प्रतिबन्धित लकड़ी का अभिवहन करते हुए 02 अभियुक्तों 1. दीपक तिवारी पुत्र राम प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम बसई थाना बसई जिला दतिया मध्य प्रदेश 2. हरी सिंह परिहार पुत्र भवानी सिंह निवासी ग्राम बसई थाना बसई जिला दतिया मध्य प्रदेश को ट्रक में लदी खैर प्रजाति की करीब 20 टन लकड़ी (कीमत करीब 30 लाख रुपये) सहित ईस्टर्न पैरीफैरल अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/317(4)/61(2) बीएनएस तथा 41/42 भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि जो लकड़ी ट्रक से बरामद हुई है यह खैर प्रजाति की प्रतिबन्धित लकड़ी है बिना अनुमति इस लकड़ी को ना ही काटा जाता है ना ही परिवहन किया जाता है। यह लकड़ी हम दोनों व देवेन्द्र सिंह सोलकी पुत्र जितेन्द्र सिंह सोलंकी निवासी ग्राम ओरछा थाना ओरछा जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी छुपे ट्रक में लोड कर मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के सागर कत्था फैक्ट्री लेकर जा रहे थे। यह ट्रक भी देवेन्द्र के नाम है तथा देवेन्द्र का समर ट्रान्सपोर्ट नाम से मध्य प्रदेश में एक ट्रान्सपोर्ट का

काम है जहाँ से हम लोग यह लकड़ी लेकर निकले थे। हम दोनों लोग पिछले 02 वर्ष से यह काम कर रहे हैं तथा हम दोनों को यह पूर्ण जानकारी थी कि यह लकड़ी प्रतिबन्धित है तथा इसके जो पेपर हमारे पास हैं वह फर्जी हैं। हमारे पास जो परिवहन का पास है वह भी वन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है तथा उस पर एक ग्राम प्रधान की मोहर नाम अंकित है। देवेन्द्र सोलंकी उपरोक्त ने हमसे कहा था कि चोरी छुपे इस लकड़ी का व्यापार करते हैं जिससे हमें अधिक आमदनी होगी। देवेन्द्र सोलंकी उपरोक्त पूर्व में भी मध्य प्रदेश में प्रतिबन्धित लकड़ी का व्यापार करने में जेल भी जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-दीपक तिवारी पुत्र राम प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम बसई थाना बसई जिला दतिया मध्य प्रदेश, उम्र करीब 36 वर्ष।

2-हरी सिंह परिहार पुत्र भवानी सिंह निवासी ग्राम बसई थाना बसई जिला दतिया मध्य प्रदेश, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

करीब 20 टन प्रतिबन्धित लकड़ी खैर प्रजाति (कीमत करीब 30 लाख रुपये), ट्रक सहित बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त मयंक गुप्ता द्वारा वादिया को अपने प्रेमजाल में फंसा कर उसको रिलेशनशिप में रखना तथा कुछ समय बाद उसके साथ मारपीट कर प्रताडित करना तथा अपने बिजनेस में घाटा दिखाकर उससे रुपये ले लेना तथा उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा पीडिता के पुत्र को डराना आदि। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 191(2)/115(2)/352/353/316(2)/64(2)m/127(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वादिया के धारा 181/183 बीएनएसएस के तहत बयानों व प्राप्त वीडियो फुटेज के आधार पर जांच से यह भी पाया गया कि पीडिता के नाबालिग पुत्र के साथ अभियुक्त मयंक गुप्ता द्वारा अश्लील हरकत भी की गयी जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 9/10 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मयंक गुप्ता पुत्र नरेश चन्द्र गुप्ता हालपता एम-204 अजनारा जैनएक्स थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद, मूलपता 47ए गली नं0-8 पुराना आर्य नगर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष को अजनारा सोसायटी के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उपरोक्त घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरा मेरी पत्नी से वर्ष 2018 में विवाद हो गया था तथा मैं अपना व्यापार कर रहा था। वर्ष 2020 जुलाई में पीडिता मेरे सम्पर्क में आयी तथा हमारी बात चीत आगे बढती गयी उसके बाद हम दोनों लिव-इन में रहने लगे। मुझे व्यापार में घाटा हो रहा था जिसके चलते मुझे कुछ पैसों की जरुरत पडी तो मैंने पीडिता से कुछ पैसे उधार लिये थे। मैं कभी-कभी शराब के नशे में पीडिता के साथ मारपीट व गाली गलौच भी कर देता था तथा उसके नाबालिग लडके को भी मेरे द्वारा डराया धमकाया गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत भी की गयी। मैंने पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मयंक गुप्ता पुत्र नरेश चन्द्र गुप्ता हालपता एम-204 अजनारा जैनएक्स थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद, मूलपता 47ए गली नं0-8 पुराना आर्य नगर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन, सर्विलांस टीम व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी), 01 कलाई घड़ी व चोरी से सम्बन्धित 70,000/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.01.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री सुरेन्द्र सिंह अरोड़ा पुत्र श्री राम लाल अरोड़ा निवासी म0नं0 1101 टावर बी-5, 11वीं मंजिल, किलो क्योटी सैक्टर 121 जनपद गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता- शॉप नंबर 01 सेकेण्ड फ्लोर सिटी सेंटर मॉल मोहन नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद की तहरीरी सूचना पर थाना साहिबाबाद पर दिनांक 06.01.2025 को मु0अ0स0 11/25 धारा 123,303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात द्वारा वादी को जहरीला पदार्थ देकर बेहोश होने के अवस्था में वादी की कार से 3,70,000/- रुपये, 01 चैन , 01 अगूंठी, 01 कडा सोने का चोरी कर लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोग की विवेचना उच्चाधिकारीगण के आदेश के क्रम में थानाध्यक्ष लिंकरोड गाजियाबाद को आवंटित की गयी। घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन कर त्वरित कार्यवाही करते हुये सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन द्वारा मुखबीर की सूचना पर दिनांक 04.03.2025 को वसुन्धरा फ्लाई ओवर के नीचे से अभियुक्त गौतम सिंह उर्फ अजहर पुत्र गिरीश चन्द निवासी ग्राम अलेपुर थाना शमसाबाद जनपद फर्रूखाबाद हाल पता प्रमोद के मकान में किराये पर तिकोना पार्क निकट वेलकम मैट्रो स्टेशन थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से थाना साहिबाबाद की घटना में से चोरी किये गये रुपयो में से 70,000/-रुपये, 01 मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी), 01 कलाई घड़ी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त गौतम सिंह उर्फ अजहर उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत धारा 123,303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ौत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त गौतम सिंह उर्फ अजहर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त जुआ खेलने व शराब पीने का आदी है। अपने शौक पूरा करने के लिये वह लोगो को विश्वास दिलाकर उनसे कुछ खाने पीने के बारे में पूछता हूँ और उनके कहने पर मैं पीने खाने का सामान लेने चला जाता है। उसी समय उस सामान में नशीली पदार्थ मिलाकर उन्हें खिला देता है। जैसे ही वह खाकर अचेत हो जाते है वह उनके पास जो भी सामान होता उसे लेकर फरार हो जाता है।

अभियुक्त बस अड्डे , रेलवे स्टेशनो पर भी आने जाने वाले अंजान लोगो से बात चीत करके मेल जोल बढाकर उनको विश्वास में लेकर खाने पीने की चीजो में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देता है। इसी तरह मैने करीब दो माह पहले साहिबाबाद के मोहन नगर क्षेत्र में यह घटना की थी तथा करीब 03 – 04 महीने पहले भी कौशाम्बी बस अड्डे से 01 व्यक्ति के साथ मेरठ जाने वाली बस में बैठे व्यक्ति से मेल जोल बढाकर बिस्किट व पानी में निशीली दवाई मिलाकर पिलायी थी बेहोश होने पर उसका बैग जिसमें कुछ आभूषण, 01 हाथ की घडी , तांबे के तार के बंडल व 14-15 हजार रूपये नगर चोरी करके फरार हो गया था। जो मुझसे घडी बरामद हुई है वह इसी घटना की है। बाकी सामान मैंने राह चलते व्यक्तियो को औने पोने दामो पर बेच दिया था तथा बाकी मैने अपनी मौज मस्ती में खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. गौतम सिंह उर्फ अजहर पुत्र गिरीश चन्द निवासी ग्राम अलेपुर थाना शमसाबाद जिला फर्रुखाबाद हाल पता प्रमोद के मकान में किराये पर तिकोना पार्क निकट वेलकम मेट्रो स्टेशन थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी का 01 मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी), 01 कलाई घड़ी व चोरी से सम्बन्धित 70,000/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त गौतम सिंह उर्फ अजहर के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी व जहरखुरानी का 01 अभियोग, व थाना लिंकरोड चोरी व जहरखुरानी का 01 अभियोग व थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली में दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन, सर्विलांस टीम व थाना लिकंरोड पुलिस टीम

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना शालीमार गार्डन के अभियोग में वाँछित/ रू0 15,000/- का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

दिनाँक-16/03/2024 को शालीमार गार्डन पर जगदीप कैतुरा के अपहरण व धोखाधडी के संबध मे दीपू सिंह,मनीष,रवि व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था काफी तलाश करने के पश्चात जगदीप कैतुंरा का शव दिंनाक 20/03/2024 को गंग नहर बुलंदशहर से बरामद हुआ था।एक अन्य अभियोग दिनांक 15/02/2025 को थाना शालीमार गार्डन पर दीपू सिंह ,मनीष,रवि व अन्य के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देते हुए पचास लाख की मांग करने के संबध मे पजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोगो मे मनीष व रवि को

गिरफ्तार कर पूर्व मे ही जेल भेजा जा चुका है ।उपरोक्त अभियोगो मे अभियुक्त दीपू सिंह भी फरार चल रहा था **अभियुक्त दीपू सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ट्रास हिंडन द्वारा रू0 15,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था** । दीपू सिंह की गिरफ्तारी हेतु टीमे बनाकर दबिशे दी जा रही थी । इसी क्रम मे क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-05/03/2025 को थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद के अभियोगो मे फरार शातिर अभियुक्त दीपू सिंह को ताहिर पुर कट थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त दीपू सिंह ने बताया कि वह 5वीं कक्षा मे पढाई छोड दी थी । वर्ष 2011 मे गुडगाँव मे दीपू सिंह औरिक्स आटो सरौल गुडगाँव मे काम करता था वही पर उसने ड्राईविंग सीखी, वर्ष 2017 मे उसने एक पिकअप गाडी को लोन पर लिया और उसे सोनीपत मे चलाने लगा फिर 2017 मे ही उसने अपना ट्रासंपोर्ट आदर्श ट्रासपोर्ट के नाम से सोनीपत मे खोला। वर्ष 2021 मे उसकी जान पहचान जगदीप से हुई जगदीप के पास आल आउट कंपनी के ट्रासपोर्ट का कान्ट्रेक्ट था जिसमे दीपू सिंह की गाडियां जगदीप के माध्यम से इस कंपनी मे ट्रासपोर्ट हेतु लगी । वर्ष 2022 मे दीपू सिंह और जगदीप ने पार्टनरशिप मे 10 गाडी कैटंर लोन पर मनीष व रवि के माध्यम से ली जो ए वन एग्रो लिमिटेड, सर्वोटेक व इमरेटस वीयर हाउस मे चल रही थी जून 2024 मे जगदीप व दीपू सिंह की पार्टनशिप फाईनेन्शियंल कारणो से टूट गयी दोनो पर फाईनेशरों का काफी बकाया था दोनो का पैसो के लेन देन को लेकर आपस मे विवाद था । दीपू सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही फरार चल रहा था और जगह बदल-बदल कर छिपकर रह रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- दीपू सिंह पुत्र रतनपाल सिंह निवासी ग्राम पैराकला थाना कछौनी जिला हरदोई उम्र करीब 35 वर्ष हाल पता मकान नंबर 245 टीडीआई टस्कन सिटी कुंडली 55 सोनीपत हरियाणा ।

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त दीपू सिंह के विरूद्ध गाजियाबाद में 02 अभियोग पंजीकृत है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- अभियुक्त पर मु0अ0सं0-127/2024 धारा-364/406 भादवि व 78/2025 धारा 386 भादवि थाना शालीमार गार्डन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का वाँछित एंव रू0 15,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी है
।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 चावल के बोरे व एक कार बरामद ।

दिनांक 20-7-24 को श्री संजीव बालम निवासी डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्र0लि0 खसरा नं0 1146/1 सद्दीक नगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि अभि0गण द्वारा मेरी कम्पनी से पहले 91,10,526 रूपये का चावल खरीदकर 39,53,250-/ रूपये का भुगतान करते हुये बकाया धनराशि 51,57,276-/ रूपये की धोखाधडी कर ली है, फिर अपने दोस्त की कम्पनी को 84,36,840 का चावल खरीदवाकर 21,31,756-/ रूपये का भुगतान करते हुये बकाया धनराशि 63,05,084-/ रूपये की धोखाधडी करने के संबंध में थाने पर सूचना दी गयी उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 03/02/25 को अभि0 आमिर राज खान उर्फ कबीर विक्टर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें आज दिनांक 5-3-25 को मुखबिर की सूचना पर रेड एप्पल सोसाइटी के पास से घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 12 बोरे चावल व एक कार मारुति सुजुकी S-CROSS नम्बर-DL8CAS 7637 रंग सफेद को बरामद किया गया। अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हमारे साथी कबीर विक्टर उर्फ आमिर रजा खान , विमल बेन्सर विक्टर ,ऋषभ गुप्ता ने धोखाधडी कर विमल बेन्सन विक्टर के नाम से जीएसटी व फर्म खोलकर गाजियाबाद की दो होल सेल चावल विक्रेताओं से चावल खरीदा था। तथा पूरे पैसे दिये बिना उनके चावल का गबन कर लिया।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता –

1. नसीम पुत्र सलीम निवासी- ग्राम शेरगढ थाना शेरगढ तहसील बहेडी जिला बरेली हाल निवासी आमिर का किराये का मकान न0 एफ 28 अंकुर विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद
2. सोनू पुत्र जगदीश शरण सक्सेना मूल निवासी ग्राम शीशगढ थाना शीशगढ जिला बरेली हाल निवासी सरिता श्रीवास्तव का किराये का एलआईजी फ्लैट सी 766 ज्योति कालोनी दुर्गापरी दिल्ली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तगण नसीम व सोनू उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर 02 अभियोग धोखाधडी के पंजीकृत हैं।

बरामदगी का विवरण-

1. 10 बोरा चावल मार्का skystar Regular BASMATI RICE
2. 02 बोरा चावल मार्का 100% SORTEX CLEAN PARMAL SELLA RICE
3. मारुति सुजुकी कार S-CROSS नम्बर-DL8CAS 7637 रंग सफेद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती के 02 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 05.03.2025 को थाना लोनी पर वादी राजू पुत्र रफीक अहमद निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि 02 अज्ञात बाइक सवार लडकों द्वारा वादी का वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन छीन कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 304 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मोबाइल छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. फैसल पुत्र कय्यूम निवासी ऊपर कोट थाना लोनी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष 2. बिलाल पुत्र इमरान निवासी राशिद गेट थाना लोनी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को चेकिंग के दौरान के चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छिनैती के 02 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। कल शाम हम दोनों ने बाइक से मौका पाकर अलग-अलग स्थानों से राह चलते व्यक्तियों से 02 मोबाइल फोन छीन लिये थे जिन्हें आज हम बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1.फैसल पुत्र कय्यूम निवासी ऊपर कोट थाना लोनी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

2. बिलाल पुत्र इमरान निवासी राशिद गेट थाना लोनी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से छिनैती के 02 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।